

धारा 24 : कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,—

- (i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय पूर्ति करते हैं;
- (ii) कराधेय पूर्ति करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति;
- (iii) व्यक्ति, जिनसे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;
- (iv) व्यक्ति, जिनसे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;
- (v) कराधेय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
- (vi) व्यक्ति, जिनसे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हों या नहीं;
- (vii) व्यक्ति, जो चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं;
- (viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;
- (ix) व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है;
- (x) प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक ¹[जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है];
- (xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के किसी स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की भारत में किसी व्यक्ति को पूर्ति करता है; ²[.....]
- ³[(xi) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और]
- (xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

उपयुक्त नियम: नियम 13 एवं 14

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी आरईजी-06, जीएसटी आरईजी-09 एवं जीएसटी आरईजी-10

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30), दिनांक 18.08.2023 द्वारा शब्द "और" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का क्रमांक 30), दिनांक 01.10.2023 द्वारा खंड (xi)क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 48/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।